

# कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा

E-mail- nazaratjdousa@gmail.com, dc-dau-ri@ni.in, MO.NO.-7976388288

क्रमांक: लेखा/2026-27/309

दिनांक 20.08.2026

## कोटेशन के लिए अनुरोध

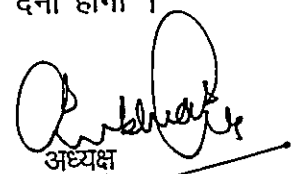
कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश दौसा जिला दौसा के न्यायक्षेत्र के **ADJ MAHWA (Dausa)** के लिए 6 नयी आलमारी का कय सुविख्यात डीलर/विपणन एजेंट/उप वितरकों/एक मात्र वितरकों /लघु उद्योग इकाई से कय की जानी है। इच्छुक निविदादाताओं से उक्त कय के कम में बन्द लिफाफे में प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं। निविदा प्रस्ताव कार्यालय समय में दिनांक 27/08/2026 समय 1.00 PM बजे तक कार्यालय लेखा शाखा जिला न्यायालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। प्राप्त निविदा प्रस्ताव दिनांक 27/08/2026 को 04.30 PM बजे निविदादाताओं के समक्ष अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में खोले जायेंगे। सामग्री की क्वालिटी/ वारन्टी/गारन्टी नियमानुसार निविदा प्रस्ताव में उल्लेख किया जावे। सामग्री की आपूर्ति, रिपेयर एव इंस्टालेशन निविदादाता द्वारा स्वयं के खर्च पर कार्यालय **ADJ MAHWA (Dausa)** में की जावेगी। निविदा विज्ञप्ति कार्यालय की वेबसाइट <https://dausa.dcourts.gov.in> पर देखी जा सकती है।

| क. स. | नाम सामग्री               | साईज                             | कुल राशि |
|-------|---------------------------|----------------------------------|----------|
| 1.    | आलमारी कय (बड़ी लोहे की)  | 78 *36*19 inch,22 or 20 गेज चददर | 84000    |
| 2.    | आलमारी कय (छोटी लोहे की ) | 50 *30*17 inch,22 or 20 गेज चददर | /-       |

अतः जो कोई व्यक्ति/फर्म/अधिकृत विक्रेता उक्त कार्य करना चाहता है वह अपनी दरें समस्त करों सहित दिनांक 27/08/2026 को दोपहर 1.00 PM बजे तक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। निविदा प्रस्ताव से सम्बन्धित शर्तें व नियम हेतु कार्यालय समय में लेखा शाखा जिला न्यायालय दौसा में सम्पर्क करे। शेष शर्तें जीएफएण्डआर और आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार होगी।

नोट :-

- स्वीकृत दरों के अलावा अन्य कोई भुगतान नहीं किया जावेगा। दरें सभी कर सहित होगी।
- दरों को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार उपापन समिति को होगा। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
- निविदा दाता को आपूर्ति किये गये सामान की गारन्टी/वारन्टी अवधि में रख-रखाव भी करना होगा।
- निविदा में मांगी गयी सामग्री का पूर्ण विवरण (साईज, मैक, स्पेशिफिकेशन आदि) देना होगा।
- निविदा प्रस्ताव लिफाफे पर "आलमारी के लिए प्रस्ताव" हेतु आवेदन लिखे।

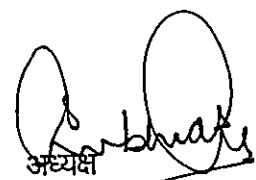
  
अध्यक्ष  
कय समिति

जिला एवं सेशन न्यायाधीश दौसा  
दिनांक 20.08.26

क्रमांक: लेखा/2026-27/310-316

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा
- श्रीमान प्रभारी अधिकारी लेखा शाखा, जिला एवं सेशन न्यायालय दौसा।
- नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा जिला एवं सेशन न्यायालय दौसा।
- नोटिस बोर्ड जिला कलेक्ट्रेट, दौसा।
- नोटिस बोर्ड न्यायालय हाजा महवा।
- सार्वजनिक स्थान गाँधी तिराहा दौसा।
- सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय

  
अध्यक्ष  
कय समिति

जिला एवं सेशन न्यायाधीश दौसा

# कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा

## Tender Conditions for New Almirah

निविदा-दाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदा भेजते समय इनका पूर्णरूपेण ध्यान रखकर पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ लौटाये ।

1. निविदाएं मुहर बंद लिफाफे में भेजी जानी है ।
2. निविदा प्रपत्र के साथ आयकर चुकता प्रमाण पत्र, पैन नम्बर, जीएसटी नम्बर संलग्न होना चाहिये ।
3. निविदा प्रपत्र स्याही वाले पैन द्वारा भरा जावे या टंकित होना चाहिये तथा दरें शब्दों एवं अंकों, दोनों में बिना काँट छाँट के स्पष्ट रूप से अंकित की जानी चाहिए ।
4. निविदादाताओं को निर्माता/अधिकृत विक्रेता/डीलर होने का प्रमाण, पत्र संलग्न करना होगा (SR-11) ।
5. दरें गन्तव्य स्थान **ADJ MAHWA (DAUSA)** तक एफ.ओ.आर. उद्धृत की जानी चाहिये तथा सभी कर एवं लागतें समाहित होनी चाहिये ।
6. सफल निविदादाता से एकमुश्त अथवा 31.03.2027 तक कभी भी खरीद की जा सकती है ।
7. निविदादाता अपनी स्वीकृत दरों के आइटम्स की सप्लाई का अथवा उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा (सबलेट नहीं करेगा) ।
8. निविदा में मांगी गयी सामग्री का पूर्ण विवरण (साईज, मेक, स्पेसिफिकेशन आदि) देना होगा ।
9. यदि माल की आपूर्ति केता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देने के बाद केता अधिकारी निविदा/संविदा किसी भी समय निरस्त की जा सकती है ।
10. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी ।
11. कार्यादेश आदेश जारी किया जाने के बाद माल की आपूर्ति निर्धारित समयावधि में की जानी होगी ।
12. यदि केता अधिकारी किन्ही निविदित वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा सूचना में निर्दिष्ट मात्रा से कम क्रय करता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकारी नहीं होगा ।
13. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जावेगी उसे 5 प्रतिशत सिक्कूरिटी डिपोजिट जमा करानी होगी । अमानत/बयाना राशि सिक्कूरिटी डिपोजिट में समायोजित कर ली जावेगी एवं राशि रु 500/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध (करार-पत्र) करना होगा जिसका खर्चा स्वयं निविदादाता वहन करेगा ।
14. यदि निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकार करने से पहले प्रस्ताव को वापिस लेता है, या रूपान्तरण करता है या विदित समय में करार निष्पादित नहीं करता है या निविदा स्वीकार करने के बाद सिक्कूरिटी राशि जमा नहीं कराता है या आदेशित सामग्री की आपूर्ति प्रदान करने में विफल रहता है तो बयाना राशि जब्त कर ली जावेगी ।
15. निविदादाताओं को बिना कारण बताये निविदा को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार उपापन समिति के पास सुरक्षित होगा ।
16. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी ।
17. कार्यादेश की निर्धारित अवधि में सामग्री प्रदान नहीं करने पर परिसमापित नुकसानी (लिव्वीडिटी डेमेज) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार वसूली योग्य होगी ।
18. उपापन समिति को निविदा वस्तुओं की गुणवत्ता एवं लागत के आधार पर निर्णित करने का पूर्ण अधिकार होगा । उपापन/क्रय समिति न्यूनतम निविदादाता व अन्य निविदादाताओं को निगोशिएशन के लिए आमंत्रित कर सकती है । इसके बावजूद भी दरें अनुकूल नहीं पाये जाने पर अथवा सामग्री वांछित गुणवत्ता की न होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है ।
19. आपूर्ति की गयी सामग्री की कम से कम एक वर्ष की गारन्टी शामिल होगी । गारन्टी अवधि में किसी भी प्रकार की मरम्मत अथवा रिप्लेसमेन्ट अथवा अतिरिक्त पार्ट्स के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा ।

अध्यक्ष

क्रय समिति

जिला एवं सेशन न्यायालय  
दौसा

20.उपापन समिति को पूर्ण अथवा आंशिक निविदा स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

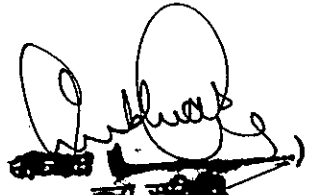
21.निविदा के साथ निविदादाता को निम्नानुसार बयाना राशि नगद या डी.डी जिला एवं सेशन न्यायाधीश दौसा के नाम से देय होगी ।

22.उपापन समिति विज्ञप्ति में दी गई मात्रा आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि कर सकती हैं । जिन फर्मों की निविदा स्वीकार की जाएगी, उन्हें मांग के अनुसार आइटम्स की सप्लाई कार्यालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर करनी होगी । माल की सप्लाई आदेशानुसार या समय पर नहीं होने पर फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी तथा कार्यालय को होने वाली वित्तीय क्षति का उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म/निविदादाता का होगा ।

23.निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

24.क्रय समिति को विज्ञप्ति में दी गई मात्रा से अधिक/कम मात्रा में आवश्यकतानुसार क्रय कर सकेगी तथा निविदा के सम्बन्ध में सम्पूर्ण अधिकार क्रय समिति का होगा ।

25.शेष शर्तें जीएफएण्डएआर और राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 एवं विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी ।

  
क्रय समिति  
नियम एवं सेशन न्यायालय  
दौसा, जिला दौसा

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

(SR-11)

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

[देखिए नियम 48 (vii)]

मैं /हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/ उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेंट हूँ/हैं।

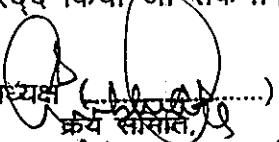
यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्णरूप से समपहृत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

  
अध्यक्ष (.....)  
क्रय समिति  
जिला एवं सेशन न्यायालय  
दोसा, जिला दोसा

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि जिस कार्य के लिए निविदा की गई है उसका मेरे/संस्था के पास कार्य पूर्ण अनुभव है। यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो कि की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी धरोहर राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से जब्त की जा सकती है तथा निविदा को जिस भाग/सीमा तक स्वीकार किया गया है को रद्द किया जा सकेगा।

  
अध्यक्ष (.....)  
क्रय समिति  
जिला एवं सेशन न्यायालय  
दोसा, जिला दोसा

निविदादाता के हस्ताक्षर